

केंद्रीय हिंदी निदेशालय
पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग
पत्राचार द्वारा हिंदी सीखें

प्रवेश सूचना - 2025-26

हिंदीतर भाषी भारतीयों, विदेशियों एवं अनिवासी (अप्रवासी) भारतीयों से निम्नलिखित हिंदी पत्राचार पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

- 1 हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स (प्राथमिक स्तर) अंग्रेजी/तमिल/मलयालम/बांग्ला/ओडिआ माध्यम में।
- 2 हिंदी डिप्लोमा कोर्स (माध्यमिक स्तर) अंग्रेजी/तमिल/मलयालम/बांग्ला माध्यम में।
- 3 एडवांस हिंदी डिप्लोमा कोर्स (उच्चतर माध्यमिक स्तर) केवल हिंदी माध्यम से।

(अ) योग्यता (अर्हता)

1. हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स :

यह कोर्स सभी भारतीयों के लिए है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं तथा हिंदी का आरंभिक ज्ञान लेने के इच्छुक हों, जिन्हें हिंदी का (बहुत कम) ज्ञान हो। विदेशियों एवं प्रवासी भारतीयों को मातृभाषा की कोई पाबंदी नहीं है। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु दिनांक 01/07/2025 को 10 वर्ष हो।

2. हिंदी डिप्लोमा कोर्स :

यह कोर्स सभी भारतीयों के लिए है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं तथा हिंदी का आरंभिक ज्ञान प्राप्त हो, विदेशियों एवं प्रवासी भारतीयों को मातृभाषा की कोई पाबंदी नहीं है। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु दिनांक 01/07/2025 को 12 वर्ष हो।

3. एडवांस हिंदी डिप्लोमा कोर्स :

यह कोर्स सभी भारतीयों के लिए है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं तथा हिंदी का पर्याप्त ज्ञान रखते हो। विदेशियों एवं प्रवासी भारतीयों को मातृभाषा की कोई पाबंदी नहीं है। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु दिनांक 01/07/2025 को 14 वर्ष हो।

(ब) शुल्क संरचना

पाठ्यक्रम	शुल्क भारतीय मुद्रा में	विदेशी मुद्रा में	देय
सर्टिफिकेट/डिप्लोमा	रुपये 50/-	\$ 50 या समतुल्य	निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय
एडवांस डिप्लोमा	रुपये 200/-	\$ 200 या समतुल्य	निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय

1. शुल्क सीधे www.bharatkosh.gov.in -> Quick payment -> Ministry- 007-Higher Education, Purpose- Education receipt -> NEXT -> Drawing & Disbursing Officer - 211766 (Jr. Admn Officer, Central Hindi Directorate) में Digital mode से जमा करवाई जा सकती है।
2. शुल्क आई.पी.ओ. या बैंक ड्राफ्ट द्वारा भी भेजा जा सकता है। मनी आर्डर और चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
3. अलग से आवेदन पत्र भेजने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. कृपया दिए गए बिंदुओं के आधार पर सूचनाएँ देते हुए आवेदन भेजें।
5. शुल्क सहित आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31/07/2025 है।
6. आवेदन पत्र निदेशालय की वेबसाइट www.chd.education.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।



आवेदन पत्र
सर्टिफिकेट / डिप्लोमा / एडवांस डिप्लोमा
शैक्षणिक वर्ष : 2025-26

1. पाठ्यक्रम का नाम
(✓ के चिह्न द्वारा सूचित करें) : सर्टिफिकेट डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा
☐ ☐ ☐
2. शिक्षण का माध्यम
(✓ के चिह्न द्वारा सूचित करें)
- * सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम : अंग्रेजी ☐ तमिल ☐ मलयालम ☐ बांग्ला ☐ ओडिआ ☐
- * डिप्लोमा पाठ्यक्रम : अंग्रेजी ☐ तमिल ☐ मलयालम ☐ बांग्ला ☐
- * एडवांस हिंदी डिप्लोमा पाठ्यक्रम :
3. आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : श्री / श्रीमती / सुश्री _____
4. पिता का नाम : _____
5. जन्म तिथि : दिन महीना वर्ष
6. शैक्षिक योग्यता : _____
7. राष्ट्रीयता : _____
8. मातृभाषा : _____
9. लिंग
(✓ के चिह्न द्वारा सूचित करें) : पुरुष ☐ महिला ☐ अन्य ☐
10. श्रेणी : सामान्य अनु.जाति अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग

11. हिंदी भाषा का ज्ञान
(✓) के चिह्न द्वारा
सूचित करें

: बुनियादी/पर्याप्त/सर्टिफिकेट कोर्स पास/परीक्षा दी है/
डिप्लोमा कोर्स पास/परीक्षा दी है।

12. शुल्क का विवरण

: _____

(आई.पी.ओ./बैंक ड्राफ्ट नं., तिथि और राशि)

*फार्म के साथ 'Bharatkosh' के माध्यम से जमा राशि की रसीद भेजना अनिवार्य है।

13. डाक-पता, पिन कोड सहित

: _____

14. मोबाइल नं.

: _____

15 ई-मेल आई.डी.

: _____

मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि मेरे द्वारा अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया गया है तथा मैं इनका पूर्ण रूप से पालन करूँगा/करूँगी।

आवेदक के हस्ताक्षर
(नाम स्पष्ट अक्षरों में)

दिनांक.....

आवेदन भेजने का पता :- उप निदेशक

पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग,
केंद्रीय हिंदी निदेशालय
पश्चिमी खंड-7, आर.के.पुरम,
नई दिल्ली-110066

नोट -

1. क्रम संख्या 1 से 15 तक की सूचना देना अनिवार्य है।
2. प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।
3. केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने किसी संस्था/एजेंसी/व्यक्ति को उक्त पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए प्राधिकृत नहीं किया है।
4. जो छात्र सर्टिफिकेट/डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा दे चुके हैं, वे उच्चतर कोर्स के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
5. एक साथ निदेशालय के दो पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं है।
6. आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, और इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार भी नहीं किया जाएगा।